न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर, रानी, जिला–पाली (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सिद्धार्थ सान्दू (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या– 29/2023
तारीख फैसला–

वादीगण :– 1. गणपतसिंह पुत्र स्वर्गीय बाघसिंह उम्र –53 वर्ष
2. भंवरकंवर पत्नी स्वर्गीय ईश्वरसिंहजी उम्र – 54 वर्ष
3. दिपेन्द्रसिंह पुत्र ईश्वरसिंहजी उम्र – 36 वर्ष
4. खुशवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय ईश्वरसिंह उम्र – 33 वर्ष
जातिगण राजपुत, निवासीगण – गुडा ठाकुरजी, तहसील रानी जिला पाली

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार रानी ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थिति ::–
1. श्री अमित श्रीमाली विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री निर्मल कुमार आचार्य विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
3. पेरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से ।

–: निर्णय :– दिनांक 29/01/2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने ग्राम गुडा ठाकुरजी पटवार हल्का गजनीपूरा में स्थिति भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 0.200 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया। वादीगण ने अपने वाद पत्र में इसका आधार यह लिया की वादग्रस्त भूमि हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपूत निवासी ठाकुरजी का गुडा की खातेदार व आधिपत्य की रही है। उक्त आराजी को वादीगण के पिता ने स्वर्गीय बाघसिंह से दिनांक 16.03.1984 को 625 रूपय में खरीद कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान कर कब्जा हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह से प्राप्त कर लिया था। लेकिन दिनांक 16.03.1984 को हमीरसिह की तबीयत ठीक नही होने से वादग्रस्त आराजी के बैचाननामे का रजिस्ट्रेशन नही करवाया जा सका। जिससे दिनांक 17.07.1984 को हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपूत निवासी ठाकुरजी का गुडा ने वादग्रस्त आराजी का एक इच्छापत्र (वसीयतनामा) वादीगण के पिता/ससूर/दादा बाघसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी ठाकुरजी का गुडा के पक्ष में दो स्वतंत्र गवाह दलपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत व दलाराम पुत्र पनाराम जी मेघवाल निवासी गुडा ठुकरजी के रूबरू किया गया,वसीयतकर्ता हमीरसिह पुत्र धुलसिंह जी का स्वर्गवास लाऔलाद दिनांक 20.02.1985 को हो चुका है। वादीगण के पिता/ससूर/दादा ज्यादा पढे लिखे नही होने से वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज नही करवाया गया जबकी वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार के वर्ष 1984 से लगातार आदिनांक तक बिना किसी अवरोध के शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण के पिता ससूर/दादा बाधसिंह पुत्र रणजी[illegible] को हो चुका है। बाघसिंह के दो पुत्र वादी संख्या 01 गणपतसिंह व [illegible]सिंह है। बाघसिंह के एक पुत्र ईशवरसिह का भी स्वर्गवास [illegible] वारीस वादी संख्या 02 से 04 हिस्सा अनुसार वादग्र[illegible] आराजी के राजस्व रेकर्ड से हमीरसिंह पुत्र धुलसिह [illegible] खातेदार को घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी संख्या 02 भवरकंवर के पति ईशवरसिंह [illegible]दी संख्या 03 से 04 के पिता ईश्वरसिंह अपने पिता बाघसिह के बडे पुत्र होने से बाघसिंह के समस्त चल व अचल सम्पितयो के दस्तावेज ईश्वरसिंह के पास ही रहते थे। ईश्वरसिंह कम पडे लिखे व्यक्ति थे तथा वादी संख्या 01 गणपतसिंह सरकारी कर्मचारी होने से गांव से बाहर ही रेल्वे में सेवाये देते रहे। स्वर्गीय ईश्वरसिंह का स्वर्गवास होने के बाद वादी संख्या 02 में अपने घर की अलमारी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Sandu
Date: 2024.02.12 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

पुराने दस्तावेज की साज सम्भाल की तो वादी संख्या 02 को उक्त प्रश्नगत असल ईच्छा पत्र (वसीयतनामा) दिनांक 17.7.84 को प्राप्त हुआ । तथा उक्त ईच्छा पत्र की जानकारी तमाम वादीगण को हुई। तब वादी संख्या 01 ने ई मित्र से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी प्राप्त की तो जानकारी हुई कि रिकार्ड में अभी भी हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह का नाम चल रहा है। तब वादी संख्या 01 ने जमाबन्दी व वसीयतनामा की प्रति के आधार पर तहसीलदार को रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करने हेतु मौखिक निवेदन किया तो उनके दवारा म्यूटेशन दर्ज नही कर वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी । जिससे वादीगण द्वारा उक्त वाद घोषण खातदेारी का पेश किया है। वादीगण ने वादपत्र के साथ बतौर अभिलेखिय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान जमाबंदी, ईच्छा पत्र दिनांक 17.7.1984 की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र श्री हमीरसिंह दिनांक 26.2.85 की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र बाघसिंह दिनांक 7.12.2011 की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र ईश्वरसिंह दिनांक 17.7.200 की प्रति , सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीतसिंह के वारीसान का प्रमाण पत्र की प्रति मिसल बदोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक की प्रमाणित प्रति, पटवारी हल्का गजनीपुरा द्वारा तहसीलदार रानी के आदेश की पालना में तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 13.9.2023 की प्रति, वसीयतनामा के गवाह दलपतसिंह पुत्र स्व उम्मेदसिंह का शपथ पत्र, पेश किये । इन अभिलेखिय साक्ष्यो के अलावा वादी पक्ष द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्लयु.01 श्री गणपतसिंह पुत्र स्व बाघसिह उम्र 53 वर्ष जाति राजपूत निवासी गुडा ठाकुरजी तथा गवाह पी.डब्लयु 02 दलाराम पुत्र पन्नारामजी मेघवाल उम्र 77 वर्ष निवासी गुडा ठाकुरजी के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी के वाद पत्र का जवाब प्रतिवादी पेरोकार द्वारा पेश किया गया। जवाब के अतः में प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में धारा 82 सीपीसी का नोटिस नही दिया जाने से वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। दावे व जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में पृथक से वाद बिन्दु कायम किये गए। वाद बिन्दु कायमी के पश्चात वादी पक्ष क ओर से गवाह पी.डब्लयु 01 व गवाह पी.डब्लयु 02 के बयान कराये गये। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाब एवम् पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही चाहने से उपस्थित वकूलाय की बहस सूनी गई। विद्धान वकील वादीगण श्री अमित श्रीमाली ने बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये रेकर्ड में दर्ज खातेदार हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपुत निवासी ठाकुरजी गुडा द्वारा वादीगण के पिता/दादा/ससुर श्री बाघसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपुत निवासी ठाकुरजी गुडा के पक्ष में दिनांक 16.03.1984 को वसीयत कर देने तथा रेकर्ड में दर्ज खातेदार हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी दिनांक 26.02.1985 को मृत्यु हो जाने से वादीगण वसीयत अनुसार जाति राजपुत निवासी ठाकुरजी गुडा द्वारा वादीगण के पिता/दादा/ससुर श्री बाघसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपुत निवासी ठाकुरजी गुडा के पक्ष में दिनांक 16.03.1984 को वसीयत कर देने तथा रेकर्ड में दर्ज खातेदार हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी दिनांक 26.02.1985 को मृत्यु हो जाने से वादीगण वसीयत अनुसार अपने पिता पिता/ससूर /दादा बाघसिंह पुत्र रणजीतसिंह की दिनांक 7.12.2011 को मृत्यु होने से वसीयत अनुसार घोषणा खातेदारी पाने की अधिकारी है। विद्वान वकील वादी द्ववारा बहस के दौरान दलील दि गई की वसीयतकर्ता द्वारा की गई वसीयत के साक्ष्य दलाराम पुत्र पनाराम मेघवाल द्वारा भी वसीयत को अपने सामने लिखे जाने के तथ्य स्वीकार किया है। जिससे प्रस्तुत वसीयत के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जावे विद्वान वकील वादी ने अपने दलीलो के समर्थन में निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये :–

1. 2009(2)RRT 1138 hight court
2. 2012(2) rrt 1009 supreme court
3.

प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा बहस में मात्र धारा 82 [illegible] का उजर एतराज नही किया है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन [illegible] उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवम् बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी [illegible] के पश्चात प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार [illegible] किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Sandu
Date: 2024.02.12 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादग्रस्त आराजी पूर्व में हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जी राजपूत नि[illegible] ठाकुरजी गुडा की खातेदारी व आधिपत्य की विद्यमान थी।

जिम्मे वादीगण

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित लक्ष्यो की पृष्टि में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य ई.एक्सपी 05 मिसल बदोंबस्त संवत 2041 से 2060 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम गुडा ठाकुरजी के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.20 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम हमीरसिंह वल्द धुलसिंह कौम राजपुत की खातेदारी मे दर्ज होना प्रमाणित है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध ईएक्सपी 01 जमाबन्दी सवत 2074–2077 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम गुडा ठाकुरजी पटवार हल्का गजनीपुरा के हाल खसरा नम्बर 123 रकबा 0.20 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम वर्तमान मे भी हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह कौम राजपुत के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुर्व से हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह कौम राजपुत के खातेदारी में दर्ज रही है, जिस तथ्य को प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पी. डब्लू–01 श्री गणपतसिंह पुत्र बाघसिंह राजपुत तथा गवाह पी.डब्लू–02 दलाराम पुत्र पन्नारामजी मेघवाल निवासी गुडा ठाकुरजी भी अपने बयानो में स्वीकार करते है। जिससे तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाद्यसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी गुडा ने दिनांक 16.03.1983 को रूपये 625/– अक्षरे छःसौ पच्चीस रूपये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था ?

जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी सिद्ध करने का दायित्व वादीगण था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र उल्लेखित किया है कि वादग्रस्त वाराजी को वादीगण के पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाद्यसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी गुडा से दिनांक 16.03.1984 को रूपये 625/– अक्षरे छः सौ पच्चीस रूपये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। वादपत्र मे उल्लेखित प्रस्तुत तथ्यो की पुष्टि मे वादी गणपतसिंह का शपथ–पत्र भी पेश किया जा चुका है। यदिपि बेचान दस्तावेज की कोई प्रति वादीपक्ष द्वारा वादपत्र के साथ पेश नहीं की गई है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श ईएक्स 2ए वसीयतनामा (इच्छा पत्र) की फोटो प्रति मे उल्लेखित तथ्यो से यह मानने मे कोई आपत्ती नहीं है की दिनांक 16.03.1984 को स्वर्गीय हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी से वादीगण के स्वर्गीय पिता/ ससूर/दादा स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी गुडा को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। बाघसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी गुडा को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। परन्तु वसीयतकर्ता स्वर्गीय हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह की तबीयत खराब होने से विक्रय की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध पर प्रदर्श ईएक्सपी 6 मौका रिर्पोट मे उल्लेखित तथ्यो से प्रमाणित है कि 35 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त है। जिस तथ्यो को प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब दावा मे इनकार नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यु 01 गणपतसिंह पुत्र बाद्यसिंह उम्र 53 वर्ष जाति राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी तथा पी.डब्ल्यु 02 दलाराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल उम्र 77 वर्ष निवासी गुडा ठाकुरजी भी अपने बयानों मे इस तथ्य की पुष्टि करते है। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

3. आया वादग्रस्त आराजी के सबंध मे दिनांक 17.07.1984 को हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जी को कौम राजपुत निवासी ठाकुरजी गुडा इच्छा पत्र (वसीयत नामा) वादीगण के पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी गुडा के पक्ष मे दो गवाहान के रूबरू निष्पादित की थी?

जिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Sandu
Date: 2024.02.12 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि मे बतौर अभीलेखिय साक्ष्य ईएक्सपी 2ए इच्छा पत्र (वसीयत नामा) जो स्वर्गीय हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जी कौम राजपुत निवासी ठाकुरजी गुडा द्वारा दिनांक 17.07.1984 को पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी के पक्ष किया गया की प्रति से प्रमाणित है कि हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम गुडा ठाकुरजी के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.20 हेक्टेयर की वसीयत वादीगण के स्वर्गीय पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी के पक्ष कि गई है। उक्त दस्तावेज को मूल दस्तावेज प्रदर्श ई.एक्स 02 से मिलान कर दौराने मौखिक साक्ष्य

(S.D.O.) रानी

सत्यापित किया गया था तथा ईच्छा पत्र के एक साक्षी दलाराम पुत्र पन्नाराम मेघवाल उम्र 77 वर्ष निवासी गुडा ठाकुरजी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बतौर मौखिक साक्ष्य दिनांक 19.01.2024 को बयानो मे स्वीकार किया तथा इच्छा पत्र के दुसरे साक्षी श्री दलपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपुत बतौर मौखिक साक्ष्य न्यायालय मे उपस्थित हुये परन्तु इच्छा पत्र (वसीयतनामा) के उक्त साक्षी दलपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह का शपथ पत्र प्रदर्श ई.एक्सपी 07 पेश किया गया है। इस प्रकार अभीलेखिय साक्ष्यों व प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों के बयानो के आधार पर ये मानने मे कोई आप्पति नहीं है वादग्रस्त आराजी के सम्बंध मे दिनांक 17.07.1984 को हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी द्वारा वादीगण के पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी के पक्ष मे वसीयत किया गया है। जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष निर्णित कि जाती है।

4. आया वादग्रस्त आराजी पर सन् 1984 से लगाये आज तक कब्जा काश्त वादीगण का विद्यमान है?...............

जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादीगण का था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे उल्लेखित तथ्यो के अनुसार वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1984 से कब्जा काश्त है। वादीगण के कब्जे काश्त को प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दावे मे भी इनकार नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श ई.एक्सपी 06 पटवारी हल्का गजनीपुरा द्वारा दिनांक 13.09.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट के अनुसार रेकर्ड मे ग्राम गुडा ठाकुरजी के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.20 हेक्टेयर किस्म बारानी दौयम के खातेदार हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह दर्ज है। तथा लगभग 35 वर्षो से इस भूमि पर खेतीबाडी वादीगण करते आ रहे है, तथा मौके पर 1/4 भाग पक्का निर्माण भी हो रखा है। इस तथ्यो को प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यु 01 गणपतसिंह पुत्र बाद्यसिंह उम्र 53 वर्ष जाति राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी ने अपने बयानो मे भी स्वीकार किया है। जिससे यह मानने मे कोई आप्पति नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1984 से लगाकर आजदिन तक कब्जा काश्त वादीगण का विधमान है। लिहाजा तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

5. आया वादग्रस्त आराजी के संबंध मे वादीगण खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है?

जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादपत्र मे उल्लेखित तथ्यो से स्पष्ट है कि वादीगण मे वादग्रस्त आराजी की खातेदारी घोषणा का अनुतोष वर्ष 1984 मे उनके स्वर्गीय पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी के पक्ष मे वादग्रस्त भूमि के रेकडेर्ड खातेदार हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी द्वारा दिनांक 17.07.1984 को इच्छा पत्र (वसीयत नामा) दो गवाहो की मौजदुगी मे निष्पादित करने से तथा वर्ष 1984 से वादीगण वसीयत अनुसार पुश्तैनी कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी चाही है। इस प्रकार वादीगण द्वारा आने वादपत्र मे मुख्य आधार वसीयत नामा को लिया, जो मूल वसीयतनामा न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुऐ। गवाह पी.डब्ल्यु 01 गणपतसिंह पुत्र बाघसिंह उम्र 53 वर्ष जाति राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी द्वारा स्वीकार करवाया गया है। तथा वसीयतनामा के एक गवाह पी.डब्लू–02 दलाराम पुत्र पन्नारामजी मेघवाल आयु 77 वर्ष निवासी गुडा ठाकुरजी के द्वारा भी सत्यापित कराया गया तथा दुसरे साक्षी दलपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपुत निवासी गुडा ठाकुरजी का शपथ पत्र भी पेश किया गया है। विद्वान वकील वादीगण श्री अमीत कुमार श्रीमाली द्वारा बहस के दौरान धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा के लिये आवश्यक शर्तो और न्यायालय का ध्यान [illegible] जो दलिले दी है तथा साथ ही वसीयतनामा (इच्छा पत्र) के संबंध मे विधिक प्रावधा[illegible] के [illegible]सीयत नामा का पंजीयन आवश्यक नहीं है इस संबंध मे विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत कानूनी [illegible] 2012(2) RRT 1009 Supreme Court ,2009(2)RRT 1138 Hight Court मे प्रतिपादित [illegible] व रजिस्ट्रेशन नियमों मे विधि के प्रावधानो के अध्ययन के पश्चात वकील वादीगण की दलिलों से सन्तुष्ट है। जिससे तनकी संख्या 1 से 4 मे किये विवेचन के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिससे तनकी संख्या 5 वादीगण के पक्ष निर्णित की जाती है।

6. आया वादीगण का वाद बिना धारा 80(2) सीपीसी की बिना अनुमति के मेन्टेनेबल नहीं होने से खारीज योग्य है?................

जिम्मे प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Sandu
Date: 2024.02.12 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र मे उल्लेखित तथ्यो तथा पत्रावली पर मौजुद अभिलेखीय साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम गुडा ठाकुरजी के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.20 हेक्टेयर सवत् 2041 से 2060 की मिसल बदोवस्त के समय से आज दिनांक तक हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह कौम राजपुत के खातेदारी की रही है। प्रस्तुत तथ्यो से यह भी प्रमाणित है कि हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह की दिनांक 26.02.1985 को मृत्यु हो चुकी है। तथा हमीरसिंह पुत्र धुलसिंह द्वारा वादीगण के पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी के पक्ष मे दिनांक 17.07.1984 को वसीयत की जा चुकी है। तथा वादीगण के पिता/ससूर/दादा स्वर्गीय बाघसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपुत निवासी ठाकुर जी की भी दिनांक 07.12.2011 को मृत्यु हो चुकी है तथा बाघसिंह जी के बडे पुत्र ईश्वरसिंह का भी दिनांक 17.07.2020 को देहान्त हो चुका है। इस प्रकार रेकर्ड मे दर्ज खातेदार की दिनांक 26.02.1985 को मृत्यु हो जाने व तथा वर्ष 1984 से वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने से वाद पेश किया है। वादग्रस्त भूमि सिवाय चक्र दर्ज नहीं रही है। जिससे धारा 80 सीपीसी के नोटिस की विधिक आवश्यकता नहीं रहती है। तथा धारा 80(2) सीपीसी के तहत तो वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुती के समय ही न्यायालय से छुट मांगी थी, जो मांग स्वीकार करते हुये ही वाद संस्थापित किया गया है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 1 से 6 वादीगण के पक्ष मे निर्णित हो जाने से ग्राम गुडा ठाकुरजी पटवार हल्का गजनीपुरा तहसील रानी के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.20 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम का वादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 से 4 को 1/2 हिस्सा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत रेकर्ड मे दर्ज खातेदार के विरूद्ध खातेदार घोषित किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड मे अमल दरामद के लिये तहसीलदार रानी व पटवारी हल्का गजनीपुरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सिद्धार्थ सान्दू)
सहायक कलक्टर रानी
(S.D.O.) रानी

आज दिनांक 29/01/24 यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सान्दू)
सहायक कलक्टर रानी
(S.D.O.) रानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Sandu
Date: 2024.02.12 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

।। पर्चा डिकी।।

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर, रानी, जिला–पाली (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सिद्धार्थ सान्दू (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 29/2023

तारीख फैसला–

वादीगण :– 1. गणपतसिंह पुत्र स्वर्गीय बाघसिंह उम्र –53 वर्ष
2. भंवरकंवर पत्नी स्वर्गीय ईश्वरसिंहजी उम्र – 54 वर्ष
3. दिपेन्द्रसिंह पुत्र ईश्वरसिंहजी उम्र – 36 वर्ष
4. खुशवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय ईश्वरसिंह उम्र – 33 वर्ष
जातिगण राजपुत, निवासीगण – गुडा ठाकुरजी, तहसील रानी जिला पाली

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार रानी ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थिति :–
1. श्री अमित श्रीमाली विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री निर्मल आचार्य विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
3. पेरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से ।

।। पर्चा डिकी।।

ग्राम गुडा ठाकुरजी पटवार हल्का गजनीपुरा तहसील रानी के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.20 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम का वादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 से 4 को 1/2 हिस्सा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत रेकर्ड मे दर्ज खातेदार के विरुद्ध खातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिकी आज दिनांक 29/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की [illegible] जारी की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Sandu
Date: 2024.02.12 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

(सि[illegible] सान्दू)
सहायक कलक्टर, रानी